सेवा में,

उप - मंडल अधिकारी (ना.)
करसोग, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश

विषय: SJVNL द्वारा प्रस्तावित लूहरी HEP-2 परियोजना के SIA (सामाजिक प्रभाव - समाधात आंकलन रिपोर्ट) व SIMP (सामाजिक समाधात प्रबंधन योजना) के संदर्भ में आपत्तियाँ।

महोदय,

हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापन और पुर्नवास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड-5 के अंतर्गत लूहरी HEP-2 के लिए SIA और SIMP रिपोर्ट तैयार की गई है इन पर इच्छुक व्यक्तियों की आपत्तियां लेने के लिए इस जनसुनवाई में मैं/हम ...., संस्था ...., गांव ...., पंचायत .... निम्नलिखित आपत्तियाँ आप के समक्ष दर्ज करते हैं।

1) हमारे क्षेत्र में अधिकतर लोग व्यवसायिक खेती पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। लूहरी HEP-2 के जलाशय से क्षेत्र में धुंध/कोहरा बढ़ेगा जिसका की भविष्य में हमारी व्यवसायिक खेती पर विपरीत असर पड़ेगा। अतः इन रिपोर्ट में होने वाली व्यवसायिक खेती का ब्योरा, उत्पादकता की पैमाइश और आज के दिन होने वाली बिमारियो (फसलों पर) का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। अगर भविष्य में परियोजना से उत्पन्न धुंध/कोहरा से उत्पादकता घटती है या फसलो पर बिमारी बढ़ती है, तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई का लिखित में आश्वासन SJVNL द्वारा दिया जाएगा।

2) SIA रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 94 बिंदु 7.2.3 में यह लिखा गया है कि कॉमान प्रॉपर्टी रिसोर्स और चारागाह की जमीन प्रभावित नहीं होगी ~~। जबकी~~ और पृष्ठ संख्या 60 बिंदु 4.1.2 में यह लिखा गया है कि जनजातीय समुदाय के लोग व अन्य परंपरागत वन निवासी किसी भी प्रकार के वन अधिकार नहीं गवाएंगे। जबकी जो 150 हे. वन भूमि जा रही है उसमें जमाबंदी के अनुसार यहां के बर्तनदारों का कब्जा दर्शाया गया है। साथ ही नक्शा हक बरतन के विभिन्न उपयोगो को भी बताया गया है। अतः इस 150 हे. वन भूमि पर विभिन्न

Scanned by CamScanner

मुहाल के लोगों के वनअधिकार और उपयोगों का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए और इन अधिकार/उपयोग पर लूहरी HEP-2 परियोजना से जो प्रभाव पड़ता है उसका मुआवजा प्रत्येक बर्तनदार को दिए जाने का प्रावधान किया जाए।

(3) रिपोर्ट में कई विकास परियोजनाओं का जिक्र है लेकिन हर मुहाल पर कौनसी परियोजना बनेगी और उसका कितना बजट होगा यह मुहालवार जानकारी रिपोर्ट में सम्मिलित करें।

(4) SIA रिपोर्ट में मुहालवार जो निजी जमिन का अधिग्रहण होना है उसके लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा यह कहीं पर भी दिया नहीं गया है। जिससे जिन भी लोगों की निजी भूमि अधिग्रहण हो रही है अगर उनको यही नहीं पता की इसके बदले उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा तो हम कैसे इस रिपोर्ट पर अपनी सहमति और असहमति जताए। अतः रिपोर्ट में भू-मालिक जिसकी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है उसका कितना मुआवजा बनता है उसकी सूची रिपोर्ट में शामिल करें।

(5) जलाशय से छुते/लगते पहाड़ी क्षेत्र पर हुए विभिन्न अध्ययनों से यह पाया गया है कि बांध के रिम क्षेत्र में भुस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं इसलिए यह जरुरी है कि भुस्खलनों की वर्तमान स्थिति पर एक अध्ययन किया जाए और रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाए। इससे होने वाले जमीन, जन जीवन व सार्वजनिक सेवाओं के नुकसान की भरपाई का लिखित में आश्वासन SJVNL द्वारा दिया जाए।

(6) SIA रिपोर्ट कि पृष्ठ संख्या 84 बिंदू 5.13.2 में लूहरी HEP-2 से प्रभावित होने वाले मंदिर और मस्जिदों का जिक्र है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी मंदिर, मस्जिद और शमशान घाटों की सूची इस रिपोर्ट में शामिल कि जाए और साथ ही इनके पुर्नवसन की विस्तृत योजना भी रिपोर्ट में शामिल की जाए।

हम आपसे निवेदन करते हैं कि उपरुक्त आपत्तियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और तब तक के लिए इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाए। जब इन सभी आपत्तियों पर सर्वे कर जानकारी रिपोर्ट में शामिल की जाएगी उसके बाद ही अगली जन सुनवाई की तारीख तय की जाए।

धन्यवाद

Scanned by CamScanner